अविश्वास प्रस्ताव और भारतीय संसद प्रस्ताव - पीडीएफ में जीके नोट्स

अविश्वास प्रस्ताव को आज से 15 साल पहले पहली बार संसद में पेश किया गया था। आखिरी बार साल 2003 में कांग्रेस पार्टी ने उस समय के तत्कालीन प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। जब की सदन में कुल 315 सांसदों को मिलाकर 524 सदस्य उपस्थित थे। इस बीच कांग्रेस और उसके सहयोगियों की संसद में कुल 63 सीटें थीं। भारतीय संसद प्रस्ताव से सम्बंधित और अधिक जानकारी के लिए इस लेख को पूरा पढ़ें।

यदि लोकसभा के सदस्यों को लगता है कि मौजूदा सरकार ने बहुमत का समर्थन खो दिया है, तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा संसद में अविश्वास प्रस्ताव को पेश किया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान यदि मौजूदा सरकार के विपक्ष में ज्यादा वोट किये जाते है। यानी कि सदन में उपस्थित कुल सदस्यों में से यदि आधे से एक ज्यादा ने अगर सरकार के खिलाफ वोट दिया है तो, इस परिस्थिति में सरकार गिर जाती है। अब तक, आजादी के बाद लोकसभा में कुल 26 अविश्वास प्रस्तावों को पेश किया जा चुका है।

भारतीय संसद प्रस्ताव - लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव

- टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस ने केंद्र में स्थित बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया था। इसका कारण आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा न मिलना था।
- तेलुगू देशम पार्टी के श्रीनिवास केसिनेनी ने आंध्र प्रदेश के लिए एक विशेष पैकेज पर बहस की मांग की, नो-ट्रस्ट वोट को स्थानांतरित कर दिया गया। इस प्रस्ताव को लोकसभा सभापति सुमित्रा महाजन ने बुधवार को स्वीकार कर लिया था।
- बीजेपी की सहयोगी पार्टी शिवसेना इस बीच बहस में भाग लेने से दूर रही।
- कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला किया, जिसे कि उन्होंने 'जुमला' कहा। उन्होंने एनडीए सरकार पर नौकरियों, महिलाओं की सुरक्षा, जीएसटी, राफले सौदे और किसानों के मुद्दों सहित कई मुद्दों पर हमला किया।
- सरकार 331 वोटों की उम्मीद कर रही थी। जबकि सरकार का विरोध करने वाले दलों को 154 वोट की उम्मीद थी।

विभिन्न संसदीय विचारों के बारे में और अधिक जानने के लिए, नीचे पढ़ना जारी रखें

भारतीय संसद प्रस्ताव सामान्य नियम

सदन के संचालन के नियमों के अनुसार: -

- संसद में अध्यक्ष की सहमति से किए गए प्रस्ताव को छोड़कर सामान्य सार्वजनिक महत्व के मामले पर कोई चर्चा नहीं हो सकती है।
- प्रस्ताव की सूचना संबोधित महासचिव को लिखित में दी जानी चाहिए।
- प्रस्ताव की स्वीकार्यता के लिए कुछ पैरामीटर निर्धारित किये गए हैं।
- संसद अध्यक्ष पैरामीटर के अनुसार प्रस्ताव की स्वीकार्यता का फैसला करते हैं।
- संसदीय अध्यक्ष प्रस्ताव में उठाए गए मामले पर चर्चा के लिए समय आवंटित करते हैं।
- अध्यक्ष प्रस्ताव पर भाषणों के लिए समय सीमा निर्धारित कर सकते हैं।

भारतीय संसद प्रस्ताव के प्रकार

- **विशेषाधिकार प्रस्ताव (Privilege Motion)**- संविधान संसद, इसके सदस्यों और समितियों को कुछ शक्तियों, विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षा प्रदान करता है।
- **सेंसर प्रस्ताव(Censure Motion)**- संवेदना द्वारा सरकार की एक विशिष्ट नीति या मंत्री के खिलाफ या मंत्रियों की पूरी परिषद के खिलाफ विपक्षी आंदोलन को स्थानांतरित किया जाता है। इसे केवल संसद के निचले सदन में स्थानांतरित किया जा सकता है।
- **ध्यान दें मोशन (Call Attention Motion)** -एक सदस्य, अध्यक्ष की पिछली अनुमति के साथ, एक प्रस्ताव को आगे बढ़ाकर तत्काल सार्वजनिक महत्व के किसी भी मामले पर मंत्री का ध्यान रख सकता है।
- **विश्वास प्रस्ताव (Confidence Motion)** - से "ट्रस्ट वोट" भी कहा जाता है। जब किसी भी बिल को संसद में पेश किया जाता है और जिसमे सभी सदस्यों का विश्वास होता है, तो इस प्रस्ताव का प्रयोग होता है।

भारतीय संसद के बारे में और जानें।

Parliament of India for SSC & Bank Exams

अन्य तथ्यों के बारे में जानने के लिए, नीचे दिए गए लिंक को लिंक पर क्लिक करें।

Know the Election Types in India
Process of Elections in India
Joint Military Exercises of India for SSC & Banking Exams
Get Latest Updates on FIFA World Cup 2018

testbook.com